कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर/ नवा रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–921/2168 रायपुर, दिनांक 13/09/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:– **आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल अंतर्गत मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 37.973 हे. आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।**

संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–38/ 2023/ 10–2 दिनांक 05.09.2023

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से व्यपवर्तन हेतु आवेदित रकबा 37.978 हे. वन क्षेत्र अंतर्गत प्रस्ताव के गैर वानिकी कार्य के कारण उक्त वृक्षारोपण की हानि की प्रतिपूर्ति कैसे होगी? उक्त हानि की प्रतिपूर्ति के संबंध में उचित प्रस्ताव बनवाकर आवेदनकर्ता से इसकी पूर्ति हेतु वचन पत्र प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है।

उक्तानुसार प्रस्ताव में प्रभावित वृक्षारोपण क्षेत्र की क्षतिपूर्ति हेतु मांग की जाने वाली राशि के भुगतान हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है संलग्न है। कृपया प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–921/2169 रायपुर, दिनांक 13/09/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **मुख्य वन संरक्षक**, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी,** धमतरी वन मंडल, धमतरी।
   – प्रेषित प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 140 में कलेक्टर द्वारा एफ.आर.ए. 2006 के अंतर्गत "Other than linear project" हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रदाय की गई है। विषयांकित प्रस्ताव लीनियर प्राजेक्ट से संबंधित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रपत्र में FRA के अंतर्गत कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रकरण के प्रथम चरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें।
3. **कार्यपालन अभियंता**, लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग–धमतरी (छ.ग.)

Phone no.– 07722-235519 Email :- ee.dhamtari@nic.in

ज्ञाप. क्र. 4368 /शिल्प–23/वचन पत्र/ धमतरी, दिनांक 06/09/ 2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.स.अ.)
अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक
सेक्टर 19, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषयः– आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः–छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. एफ 5–38/2023/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 05.09.2023.

——:0000:——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत प्रभावित वृक्षारोपण की क्षतिपूर्ति हेतु वचन पत्र आवेदक संस्था (विभाग) द्वारा चाहा गया है, संदर्भित पत्र के परिपालन मे उक्त वचन पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सहपत्रः–उपरोक्तानुसार

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग धमतरी
संभाग–धमतरी (छ.ग.)

पृ. क्र. .... /शिल्प 23/वचन पत्र/ धमतरी, दिनांक ...../...../ 2023

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि. मण्डल क्र. 02 रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

सहपत्र :– शून्य

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग धमतरी
संभाग–धमतरी (छ.ग.)

लिपिक-I

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़, रायपुर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
आवक क्र. 3126
28/09/23

Scanned by CamScanner

<u>वचन पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि **"लोक निर्माण विभाग, धमतरी"** द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत मेघा–सिंगपुर–दुगली लगभग 35.00 कि.मी. मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना अंतर्गत कुल 37.973 हेक्टेयर वनभूमि का गैर–वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत प्रभावित वृक्षारोपण क्षेत्र की क्षतिपूर्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा मांग की जाने वाली राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा, इस हेतु विभाग वचनबद्ध है।

(संतोष कुमार नेताम)
कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग
धमतरी संभाग, धमतरी

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–38/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक /09/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–921/1932, दिनांक 16.08.2023।

––00––

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 158 में व्यपवर्तन हेतु आवेदित 37.978 हे. वन क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2006–2007 में रूपये 1,85,600/– की लागत से किये गये 25000 पौधों के वृक्षारोपण को प्रभावित दर्शाया गया है।

विषयांकित गैर वानिकी कार्य के कारण उक्त वृक्षारोपण की हानि की प्रतिपूर्ति कैसे होगी? इस बाबत् कोई भी टीप अथवा प्रस्ताव संदर्भित पत्र में नही दिया गया है। कृपया उक्त हानि की प्रतिपूर्ति के संबंध में उचित प्रस्ताव बनवाकर आवेदनकर्ता से इसकी पूर्ति हेतु वचन पत्र प्राप्त कर प्रेषित करें।

2/– कृपया उपरोक्त बिंदु पर वांछित जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
छत्तीसगढ़, रायपुर

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
आवक क्र. 3124
दिनांक 08/09/23

क्रमशः 2

पृ.क्रमांक एफ 5–38 / 2023 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 05 / 09 / 2023

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 140 में कलेक्टर द्वारा FRA 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय की गई है उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र "other than linear Project" हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रदाय की गई है। उक्त विषयांकित प्रस्ताव लीनियर प्रोजेक्ट से संबंधित है। अतः यदि विषयांकित प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त होती है तो उक्त प्रथम चरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय Linear Project हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रपत्र में FRA के अंतर्गत कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करें।

2.मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल, धमतरी छत्तीसगढ़।

4.कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी, जिला धमतरी छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

KRajput
5.9.23

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग